

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर :: ग्रावश्यक  
क्रमांक/स०ती०गा०८०/परि०/१७-१०८/ १५६-१०५५

दिनांक- ६.६.९७

### प्रिपत्र

विभिन्न संबंध में कार्यरत कर्मचारियों के बजाए पांच अधिक कार्यभूल्यांकन प्रतिवेदनों की पूर्ति करने करवाते समय दो परेशानियाँ सामने आने पर उनका निम्नानुसार समापन कर, अमर्त प्रतिवेदन/समीक्षा अधिकारियों को इस परिपत्र के माध्यम से जवाबदार बताया जा रहा है :-

#### १- परेशानी। नम्बर- १।

प्रतिवेदक अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर अध्या उक्त अवाधि के दौरान पद रिक्त होने की स्थिति में उनसे उच्चाधिकारी द्वारा टिप्पणी दिये जाने पर समीक्षा टिप्पणी किस अधिकारी से प्राप्त की जाये ?

#### समाधान-

सम्बन्धित जेल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन के ग्राम-८ एवं १० भूमि टिप्पणी अंकित करते हुये प्रमाणित करना है :-

"प्रतिवेदक टिप्पणी, उच्च अधिकारी के द्वारा दिये जाने पर समीक्षा टिप्पणी अंकित नहीं हुई है।"

"हस्ताक्षर जेल अधिकारी"

#### २- परेशानी। नम्बर- २।

प्रतिवेदक अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने अध्या पद रिक्त रहने की स्थिति में उनसे उच्च अधिकारी से पूर्ति करवाये जाने का प्रावधान है किन्तु वर्तमान में उच्च अधिकारी के भी कार्यरत सेवानिवृत्त/पद रिक्त होने की स्थिति में नहीं होने पर प्रतिवेदन की पूर्ति कैसे करवाई जाये ?

#### समाधान-

सम्बन्धित जेल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन में निम्न टिप्पणी अंकित करते हुये प्रमाणित करना है :-

"प्रतिवेदक अधिकारी एवं उनसे उच्च अधिकारी की टिप्पणी, उनके राज्यों सेवा से सेवानिवृत्त/पद रिक्त होने पर प्राप्त करना संभव नहीं।"

"हस्ताक्षर जेल अधिकारी"

उक्त के संदर्भ में "पालनार्थी" समस्त प्रतिवेदन/सभी इन आधुनिकों द्वारा  
जेल प्रभारी/प्रधारी द्वारा । उपने कारागृह के सम्बन्ध में । अवगत कर्यालय जारी एवं  
लाभ ही इन्होंने प्रतिवेदन जिनकी सूची समस्त कारागृह में उपलब्ध है, के शीर्ष पूर्णि  
किये जाने देते भी निर्देश दिये जायें ताकि व्यवस्था के बाबत प्रधारण एवं विभागों  
पदोन्नति समिति फी कैठक में अवश्यक विस्तृत न हो ।

२४८५  
निर्देशक एवं भद्रानिरीक्षक  
कारागृह राजस्थान, जयपुर ।

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक रूप से देते प्रेषित है :-
- 1- समस्त अधीक्ष/उपाधीक्ष एवं प्रभारी/प्रधारी कारागृह के न्द्रीय/जिला उप अधीक्ष/जिला उप कारागृह, राज० ।
  - 2- प्राचार्य, कारागृह प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।
  - 3- कार्यालय व्यवस्था बुद्धिमत्ता व्यवस्था व्यवस्था, कारागृह राज०, जयपुर ।
  - 4- उपाधीक्ष कारागृह प्रशिक्षण एवं अडारिमुद्धिमत्ता व्यवस्था व्यवस्था, कारागृह राज०, जयपुर ।
  - 5- यारेष्ठ निजि सहायक, निर्देशक एवं भद्रानिरीक्षक कारागृह राज०, जयपुर ।
  - 6- नांज सहायक, भद्रानिरीक्षक कारागृह राज०, जयपुर ।
  - 7- रज्जन प्रकाशनी ।

२४८५  
निर्देशक एवं भद्रानिरीक्षक  
कारागृह राजस्थान, जयपुर ।

एसआर/5697/